संख्या:1/2025/06/35-4-2025/35-4099/146/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ। दिनांक: 02 जनवरी, 2025

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य के निरस्तीकरण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में जनपद गोरखपुर में शासनादेश सं0-230/2021/1985/35-4-2021 दिनांक 18 नवम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत 250 कार्यों में से क्रमांक 207 पर अंकित कार्य यथा पिपराईच मुख्य मार्ग से मुहल्ला भलोटिया तक गहरी नाली का निर्माण कार्य, लं0-1.0 किमी० की रु. 79.59 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये प्रथम किस्त में रु. 7.68 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। जिलाधिकारी के पत्र संख्या-922/त्व०आ०वि०यो0/2024-25 दिनांक 25 नवम्बर, 2024 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उक्त कार्य की स्वीकृति को निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18 नवम्बर, 2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। अन्य कार्यों हेतु सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18 नवम्बर, 2021 की शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या:1/2025/06(1)/35-4-2025/35-4099/146/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल।
8- उपाध्यक्ष, गोरखपुर विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
9- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
11- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट टांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर।
14- मुख्य/अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, गोरखपुर।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।